न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 382/2017

अनवान : –

1. गुरदाससिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त0 टिब्बी । **वादी**

बनाम्

1. गुरचरणसिंह पुत्र बोगासिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी।
2. सुखपालकौर पत्नी गुरचरणसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त0 टिब्बी।
3. परमजीतकौर पुत्री गुरचरणसिंह पत्नी हरबंससिंह जाति कुम्हार निवासी गुमिहारा श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।
4. वीरपालकौर पुत्री गुरचरणसिंह पत्नी बलजीतसिंह जाति कुम्हार निवासी लकड़वाली त0 व जिला सिरसा **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थिति :– श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता वादी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादीया

दिनांक 31/7/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा वनता है । वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां मे प्रतिवादीसं0 2 ता 4 ने अपने अपने हकं व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था व प्रतिवादीसं० 1 ने वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज अपनी कृषि भूमि 80 हिस्सा वादी को बटवारां में दी थी जिस पर वादी घरू बटवारा के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है व वादी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार हैं ।

4. यह कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज रहने से व वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने व पानी की पर्ची अपने नाम करवाने व अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओ से वादी वंचित रहता है। इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज चकनं0 3 एस. बी. एन के खाता सं0 74/71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 के 80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर प्रतिवादीसं० 1 का नाम कलमजन किया जावे। वादी ने प्रतिवादीगण को आज से एक सप्ताह पूर्व ग्राम साबुआना में निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर खाता हाजा में से प्रतिवादीसं० 1 अपना नाम कलमजन करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये । बस यही बिनाय दावा है । वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है . व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है ।

लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से धोषित किया जावे कि चकनं0 3 एस.बी. एन के खाता सं0 74/71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है० नहरी मय गै०मु० आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 गुरचरणसिंह के 80 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 3 एस. बी. एन के खात सं0 74 / 71 मे से प्रतिवादीसं० 1 का नाम कलमजन किया जावे।

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मुकदमा में हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है । वादी व प्रतिवादीया सं0 3 व 4 के पिता तथा प्रतिवादीयासं० 2 के पति, प्रतिवादीसं० 1 गुरचरणसिह के नाम से चकनं0 3 एस. बी. एन के खाता सं0 74 / 71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में 80 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है । हम पक्षकारान का वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां मे हम प्रतिवादीसं0 2 ता 4 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था व प्रतिवादीसं0 1 ने वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज अपनी कृषि भूमि 80 हिस्सा वादी को बटवारां में दी थी जिस पर वादी घरू बटवारा के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है । इसलिए चकनं0 3 एस.बी. एन के खाता सं0 74/ 71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 गुरचरणसिह के 80 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 3 एस.बी.एन के खात सं0 74/71 मे से प्रतिवादीसं० 1 का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है । हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है । अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर बाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने चकनं0 3 एस. बी. एन के खाता सं0 74 / 71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में 80 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों से वाद भूमि वादी की पैतृक संपति होने के कारण वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चकनं0 3 एस. बी. एन के खाता सं0 74 / 71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में 80 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/7/25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० – 382/2017
उनवान : –

1. गुरदासरिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त० टिब्बी ।

वादी

बनाम्

1 गुरचरणसिंह पुत्र बोगासिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी।
2. सुखपालकौर पत्नी गुरचरणसिंह जाति कुम्हार निवासी साबुआना त0 टिब्बी।
3. परमजीतकौर पुत्री गुरचरणसिंह पत्नी हरबंससिंह जाति कुम्हार निवासी गुमिहारा श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।
4. वीरपालकौर पुत्री गुरचरणसिंह पत्नी बलजीतसिंह जाति कुम्हार निवासी लकड़वाली त0 व जिला सिरसा

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व अधिवक्ता सुभाष गर्ग प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 3 एस. बी. एन के खाता सं0 74 / 71 जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 में कुल 1.771 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी में 80 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 31/7/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner